छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2011/29/3958 रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2011–12 में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य 15 नवंबर, 2011 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2011–12 में समर्थन मूल्य पर 55 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए हमारे प्रदेश को लगभग 13 लाख मेट्रिक टन चावल की वार्षिक आवश्यकता है । अतः धान की आवक को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 13 लाख मेट्रिक टन चावल के लिए लगभग 20 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा रखा जाएगा । शेष धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. सी.एम.आर. डिलेवरी समयावधि –

खरीफ वर्ष 2011–12 के दौरान कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी की समयावधि 15 नवंबर, 2011 से 30 सितंबर, 2012 तक होगी किन्तु डिलीवरी को अप्रैल, 2012 तक पूर्ण करने का प्रयास सर्वसंबंधितों द्वारा किया जायेगा।

2. सी.एम.आर. उपार्जन एजेंसी –

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा ।

2.2. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए उपार्जित चावल का पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा ।

2.3. राज्य की आवश्यकता से अधिक चावल का परिदान कस्टम मिलिंग के उपरांत मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा ।

2.4. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल के साथ–साथ उसना चावल भी शासन निर्देशानुसार वितरित किया जावे एवं उक्त हेतु आवश्यकतानुसार उसना चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा किया जावे ।**

2.5. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3. गुणवत्ता –

3.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति संलग्न है ।

3.2. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे।

3.3. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया

जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4. कस्टम मिलिंग दर –

खरीफ वर्ष 2011–12 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित धान की अरवा मिलिंग दर 45 रूपए प्रति क्विंटल एवं उसना मिलिंग दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 25 रूपये प्रति क्विंटल के अनुरूप होगी ।

5. कस्टम मिलिंग प्रकिया –

खरीफ वर्ष 2007–08 के दौरान कस्टम मिलिंग की प्रकिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है एवं खरीफ वर्ष 2011–12 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । खरीफ वर्ष 2011–12 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रकिया निम्नानुसार होगी –

5.1. कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जाएगी । प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन स्थापित है इसका प्रमाणीकरण विद्युत मंडल के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक राईस मिलिंग अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये। कृपया अपने जिले के समस्त राईस मिलर्स की बैठक लेकर उन्हें मिल पंजीयन की प्रकिया के संबंध में पूरी जानकारी प्रदाय कर दें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले की मिलों का पंजीयन दिनांक 10 नवंबर, 2011 तक पूर्ण हो जाए । तथापि मिलों के पंजीयन की सुविधा धान उपार्जन प्रारंभ होने के बाद भी जारी रहेगी ।

5.2. खरीफ वर्ष 2011–12 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

5.3. पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति मिल की क्षमता के आधार पर एक बार में कम से कम एक माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 400 मेट्रिक टन प्रतिमाह) दी जावे । मिलों को 100 मेट्रिक टन (अर्थात 1 स्टेक) के गुणक में मिलिंग अनुमति दी जावे । मिलों को एक बार में उनकी

Gur

3 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक की अनुमति नहीं दी जाए । किसी भी मिल से अगला अनुबंध करने के पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी करना अनिवार्य होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । एक मिलिंग सीजन में मिल की 6 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक का अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जावे । यदि इससे अधिक क्षमता की मिलिंग अनुबंध की अनुमति देना हो, तो कलेक्टर्स कारण दर्शाते हुए प्रबंध संचालक मार्कफेड के माध्यम से आयुक्त, खाद्य संचालनालय को निर्णय हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि धान की मिलिंग किस प्रकार कौन सी मिल में की जाएगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल रिसाईकल होने से रोकने की क्या व्यवस्था होगी । कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी करने के पूर्व कलेक्टर्स यह आवश्यक रूप से देखेंगे कि मिलों के संचालकों द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में पी.डी.एस. के चावल की रिसायकलिंग तो नहीं की गई है ।

5.4. कलेक्टर्स द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात **उसी दिन** मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध **एक ही बार** में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा कराने के लिए अलग–अलग अनुबंध किए जायें।

5.5. धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

5.6. जिलों में कस्टम मिलिंग हेतु कलेक्टर द्वारा कॉमन, ग्रेड–ए एवं स्वर्णा धान का अनुपात इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि खरीफ वर्ष 2011–12 में उपार्जित धान का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र संभव हो सके ।

5.7. **मोटा धान कस्टम मिलिंग हेतु यथा संभव उसना मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे ।**

5.8. राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा उसी किस्म का चावल जमा कराया जावे ताकि मार्कफेड को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि न हो । इसका कड़ाई से पालन कराया जाए ।

5.9. धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलेवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

5.10. सर्वप्रथम खुले में भण्डारित धान को ही कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे तथा खुले में भण्डारित धान के निराकृत होने के पश्चात ही गोदाम में भण्डारित धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे ।

5.11. कस्टम मिलिंग से प्राप्त होने वाले चावल को जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं की आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में जमा किया जाए तथा शेष चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जावे । मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए जिलेवार आवश्यक चावल का लक्ष्य प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित किया जाये ।

5.12. कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलेवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

5.13. मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे तथा मिलिंग अवधि में सामान्य परिस्थितियों में कोई वृद्धि न की जावे । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । विशेष परिस्थितियों में अनुबंध अवधि समाप्त होने पर कलेक्टर द्वारा एक बार में एक माह के आधार पर अधिकतम दो बार में दो माह की समयावधि वृद्धि की जा सकेगी । कलेक्टर द्वारा दो माह की समयावधि वृद्धि किए जाने के उपरांत मिलिंग हेतु अतिरिक्त समयावधि की अनुमति कलेक्टर की अनुशंसा पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा दी जा सकेगी ।

5.14. उपार्जन अवधि के दौरान यथासंभव समितियों से कस्टम मिलिंग हेतु धान उठाव की अनुमति दी जावे तथा उपार्जन अवधि समाप्त होने के पश्चात ही संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जावे ।

5.15. मिलर को धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत चावल की डिलेवरी देनी होगी ।

5.16. **मार्कफेड एवं मिलर्स के बीच होने वाले कस्टम मिलिंग अनुबंध में धान की कीमत का निर्धारण मात्र धान के समर्थन मूल्य, बोनस (यदि केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा दिया जाता है तो) एवं बोरे के मूल्य को जोड़कर किया जावे । तदनुसार ही मिलर से प्रतिभूति ली जावे, इससे ज्यादा की नहीं ।**

6. बारदानों की राशि की प्राप्ति –

कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को धान के साथ प्रदाय बारदानों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा वापिस नहीं लिया जावे तथा पिछले वर्ष अनुसार मिलर्स को देय राशि में से 14 रूपये प्रति नग के मान से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समायोजित किया जावे ।

7. परिवहन व्यवस्था –

7.1. कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स द्वारा समितियों से धान के सीधे उठाव के लिए कलेक्टर द्वारा धान उपार्जन हेतु निर्धारित दर पर मिलरों को परिवहन व्यय देय होगा । परिवहन व्यय उपार्जन केन्द्र से मिल की दूरी में 8 किलोमीटर घटाकर आयी दूरी हेतु देय होगा ।

7.2. **मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्र से मिलिंग हेतु मिलर्स को प्रदाय किये जाने वाले धान की परिवहन दर के निर्धारण हेतु धान के लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय को पृथक करते हुए नवीन निविदा के आधार पर परिवहन दरों का निर्धारण किया जावे । यह परिवहन व्यय मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र से मिल की दूरी में 8 किलोमीटर घटाकर आई दूरी हेतु देय होगा । संग्रहण केन्द्र से 8 किलोमीटर की दूरी तक के लिए मिलर्स को केवल लोडिंग अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि ही भुगतान की जावे ।**

7.3. **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में धान व चांवल के परिवहन हेतु एक ही दर निर्धारित की जावे । यह दर जिला कलेक्टर द्वारा खुली निविदा द्वारा तय किया जावे । चावल परिवहन की उक्त दर नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किये जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल के लिये मान्य होगी । मिलर्स को कस्टम मिल्ड चावल के 8 कि.मी. तक की दूरी का परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।**

7.4. समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

7.5. संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को अनुमति इस प्रकार दी जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है, प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जावे ।

8. समितियों से धान का सीधे उठाव –

8.1. विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

8.1.1. पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

8.1.2. मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर्स द्वारा किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

8.2. अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों में उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलेवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलेवरी आर्डर के और डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलेवरी आर्डर के अथवा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल काली सूची में डालते हुए उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलेवरी आर्डर के अथवा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

8.3. जिला विपणन अधिकारी डिलेवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से

जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । यदि प्रतिभूति अग्रिम चावल जमा के रूप में होगी तो जिला विपणन अधिकारी इसे तभी स्वीकार करेंगे जब वह इसकी पुष्टि इंटरनेट पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम के सी.एम.आर. प्राप्ति केन्द्र से जारी चावल की अभिस्वीकृति से कर लें । डिलेवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलेवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी । खरीफ वर्ष 2010–11 की भांति डिलेवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति समिति तक पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियुक्त मोटर साईकिल रनर्स द्वारा किया जाएगा ।

8.4. मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलेवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा । मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा ।

8.5. सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

8.6. अनुबंध की निर्धारित अवधि में मिलर धान उठाव सुनिश्चित करेंगे । विलंब की स्थिति में अनुबंध में दण्ड का प्रावधान किया जावे ।

8.7. **शासन की मंशा है कि धान खरीदी और उसकी मिलिंग में होने वाले दोहरे व्यय (परिवहन, हैण्डलिंग, सूखत इत्यादि में) से बचने के लिए समितियों से ही मिलर्स द्वारा अधिक से अधिक धान का उठाव किया जावे ।**

8.8. धान उपार्जन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से

कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में धान का भौतिक सत्यापन करें । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।

8.9. **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में भारतीय खाद्य निगम को धान हस्तांतरण नहीं किया जाना है । समिति स्तर से ही अधिकाधिक मात्रा में उपार्जित धान को मिलर को प्रदाय किया जाए । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र को धान का अंतरण अंतिम चरण में किया जाए ।**

8.10. भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के बिल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के स्थानीय कार्यालय द्वारा शीघ्र प्रस्तुत कर उसका भुगतान 15 दिन के अंदर करा लिया जाए ताकि राज्य शासन पर अनावश्यक ब्याज व्यय भार न आये ।

8.11. किसी भी स्थिति में समिति स्तर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 100 मेट्रिक टन अर्थात 2500 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

8.12. **मार्कफेड द्वारा मिलर्स से किए जाने वाले अनुबंध में यह प्रावधान किया जावे कि मिलर्स द्वारा अग्रिम में जमा कराये गये ऐसे चावल पर जिसके ऐवज में मार्कफेड द्वारा धान प्रदाय नहीं किया जा पाता है, उस चावल का भुगतान मार्कफेड द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेव्ही दर पर किया जावे ।**

9. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –

9.1. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

9.2. कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में

इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

9.3. मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी ।

10. अन्य –

10.1. खरीफ वर्ष 2011–12 के लिए धान उपार्जन की प्रक्रिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

10.2. उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग हेतु राईस मिल संचालकों से चर्चा कर मिल पंजीयन के साथ–साथ मिलिंग हेतु आवेदन प्राप्त कर धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व ही अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे ।

10.3. जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव की मात्रा का लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार तत्काल अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्ययोजना तैयार कर ली जावे, जिससे धान की अधिक आवक होने के दौरान व्यवस्थित एवं सुगम रूप से प्रत्येक माह लक्ष्य अनुसार धान की कस्टम मिलिंग सुनिश्चित हो सके ।

10.4. जिले में कस्टम मिलिंग हेतु दी जाने वाली अनुमति एवं अनुबंधित धान की मात्रा की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन विभाग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़

स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें ।

10.5. कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार की जाए ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

कमांक एफ 4–8/खाद्य/2011/29/3949 रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपि –

01. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
02. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
04. निज सहायक, माननीय मंत्री, समस्त छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
05. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
06. समस्त प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
07. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।

08. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।

09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर ।

10. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।

11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर ।

12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।

13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., रायपुर ।

14. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।

16. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

No.8-4/2011-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan. New Delhi.
Dated: 8th August. 2011.

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of .... (All State Governments/UT Administrations)

Subject: - Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for the Kharif Marketing Season 2011-2012.

Sir,

I am directed to forward herewith the Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement for the Central Pool during the Kharif Marketing Season (KMS) 2011-12.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2011-12 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.

Encl.: As Above

JD/OSD
Pl examine
22/8

Yours faithfully.

8/8/2011

(B.C. Joshi)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23070474

पत्र क्र. ....
सं.स./खाद्य/2011
दिनांक..........2011

.....Contd/-

Uniform speci.

Copy to:-

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC), FCI HQ, New Delhi.
4. General Manager (Marketing & Procurement), FCI HQ, New Delhi.
5. All Executive Director (Zones), FCI.
6. Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agri. & Coop., Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP)/JS (Stg.)/ JS (BP&PD)JS (WDRA).
9. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&R)/DC (S&R).
10. All QCC/IGMRI Offices.
11. US (BP-I)/US (BP-II)/US (Py. I, II, III, IV)
12. DD (S)/ DD (QC)/AD (CGAL)/AD (S)/AD (QC-I)/AD (QC-II)/AD (QC-III)
13. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

8/8/2011
(Dr. S.C. Bansal)
Deputy Director (S&R)
Tele # 23383915

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & COMMON RICE (MARKETING SEASON 2011-2012)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to PFA Standards:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/ single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	12.0	12.0
9.	Moisture content @	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	14.0	14.0

* Including 1% small brokens.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw and Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml.of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow standing for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.

3. Brokens less than $1/8^{th}$ of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.

4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.

5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied. proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

*****